

SHRI K. C. PANT : As I said, notices have been issued. Departmental proceedings will then be initiated. After the result of that is obtained, whatever steps are necessary will be taken.

श्री कंवर लाल गुप्त : मंत्री महोदय ने कहा है कि पांच फर्मों के बारे में प्राइम फेसाई केस बना है। मैं चाहता हूँ कि जो इनक्वायरी हुई है और जिस के आधार पर प्राइम फेसाई केस बना है उसकी कुछ डिटेल्स आप दें।

मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि इन पांच फर्मों के बारे में क्या पहले भी कोई शिकायत आई थी और क्या यह भी ठीक है कि ये पांच फर्म सरकार से और कई प्रकार की सुविधायें ट्रेड के बारे में लेती हैं? मैं जानना चाहता हूँ कि क्या अब ये सुविधायें आपने इनसे को देना बन्द कर दिया है या नहीं किया है और अगर नहीं किया है तो क्यों नहीं किया है?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : ट्रेड की सुविधाओं का जहाँ तक सवाल है मैं इस के बारे में कुछ नहीं बता सकता हूँ। सम्बन्धित मंत्रालय ही बता सकता है। पहले भी इन्होंने इस तरह का जुर्म किया हो, इसकी मुझे खबर नहीं है।

श्री हुकम चन्द कछवाय : इन फर्मों के नाम क्या हैं?

SHRI KANWAR LAL GUPTA : Sir, I want to know some details about the inquiry, if he can supply them.

THE DEPUTY PRIME MINISTER AND MINISTER OF FINANCE (SHRI MORARJI DESAI) : Details of the inquiry cannot be given until the inquiry is over and final orders are passed. Otherwise, the inquiry will be frustrated.

उर्वरक कारखाने

+

* 365. श्री ओंकारलाल बेरवा :

श्री इन्द्रजीत गुप्त :

श्री कामीनाथ पाण्डेय :

श्री रघुबीर सिंह शास्त्री :

श्री स० च० बेसरा :

क्या पेट्रोलियम तथा रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नये उर्वरक कारखानों की स्थापना में विलम्ब किया जा रहा है तथा इससे उत्पादन में कमी होने की सम्भावना है, क्योंकि विदेशी कम्पनियों को दी गयी रियायत की अवधि 31 दिसम्बर, 1967 को समाप्त हो रही है ;

(ख) क्या सरकार का विचार रियायत की अवधि को बढ़ाने का है ; और

(ग) यदि हाँ, तो कब और किस तारीख तक उसे बढ़ाने का विचार है ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PETROLEUM AND CHEMICALS AND OF SOCIAL WELFARE (SHRI RAGHURAMIAH) :

(a) No, Sir.

(b) There is no proposal to extend the period.

(c) Does not arise.

श्री ओंकार लाल बेरवा : उर्वरक का बना हुआ सामान हम कितना आयात करते हैं और उस पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च की जाती है? इस विदेशी मुद्रा को बचाने के लिए हम क्या उपाय कर रहे हैं?

THE MINISTER OF PETROLEUM AND CHEMICALS AND SOCIAL WELFARE (SHRI ASOKA MEHTA) : My Ministry is not concerned with the import of fertilizers. I do not have that information.

श्री ओंकार लाल बेरवा : उर्वरकों के बारे में प्रश्न है। अगर यह इन से सम्बन्धित नहीं है तो कोई और इसका उत्तर दे। जो रियायतें दी हैं वे 31 दिसम्बर को खत्म हो रही हैं। हम विदेशी मुद्रा बचाने के लिये क्या उपाय कर रहे हैं। कोई जवाब तो आना चाहिये।

MR. SPEAKER : He may ask his second question.

श्री हुकम चन्द कछवाय : पहले प्रश्न का जवाब नहीं आया तो दूसरा प्रश्न कैसे किया जाए ?

श्री ओंकार लाल बेरवा : क्या जवाब देने वाला कोई और नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : अब आप दूसरा प्रश्न करें।

श्री हुकम चन्द कछवाय : एक प्रश्न का जोकि किया गया है उसका उत्तर तो दिलायें।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : शायद बेरवा साहब यह जानना चाहते हैं कि अगर सुविधाओं की तिथि नहीं बढ़ाई जा रही है और नई फैक्ट्रियां नहीं लगेंगी तो हम जो फर्टिलाइजर इम्पोर्ट कर रहे हैं, उस इम्पोर्ट को हम कैसे बन्द कर सकेंगे?

श्री अशोक मेहता : इस तरह से उन्होंने सवाल नहीं पूछा था। इस सवाल का जवाब मैं काफी बार दे चुका हूँ। इसके आंकड़े मैंने पहले भी दिये हैं और चाहें तो मैं फिर देने के लिए तैयार हूँ। 2.2 मिलियन टन की कैपेसेटी के लिए प्रोपोजलज्ज फॉर्म हो गई है। उसके बारे में या तो काम शुरू हो रहा है या बढ़ेगा। इस साल के आखिर तक 9 लाख टन की हमारी कैपेसेटी हो जाएगी। 1969 में 2.2 मिलियन टन की कैपेसेटी हमारे यहां हो जाएगी। और जो-जो प्रोपोजलज्ज हमारे सामने हैं और जिन के बारे में हम फैसला कर रहे हैं, हमें उम्मीद है कि तीन साढ़े तीन मिलियन टन की कैपेसेटी अगले तीन या चार साल में हो जाएगी।

श्री ओंकार लाल बेरवा : हमने विदेशों से किन-किन कंपनियों से बातचीत की है और हम इसको क्यों खत्म करने जा रहे हैं?

श्री अशोक मेहता : विदेशी कंपनियों से भी बातचीत होती है। विदेशी कंपनियों से बातचीत होती है तो उनको भी हिन्दुस्तान पार्टनरज्ज खोजने पड़ते हैं। कभी-कभी हिन्दुस्तानी कंपनियों से बातचीत होती है तो उनको भी विदेशी पार्टनरज्ज खोजने पड़ते हैं। दोनों किस्म की कुछ कंपनियों के नाम मैं आपके सामने रखता हूँ।

They are : Mangalore—Duggal ID & IC Co. Haldia—Phillips Petroleum; Ghaziabad—Modi Spinning and Weav-

ing Co. Ltd. with Rohm and Hass; Mirzapur Pilani Investment Corporation and Kaiser; Vizag Expansion—Coromandel Fertilisers; Kandla—Indian Farmers' Fertiliser Company with the Co-operative League of America. Then, Barium Chemicals have made certain proposals and the details are not before us. I have also received proposals from the Tata and Allied Chemicals. Discussions are going on with Atlantic Richfield and also with Messrs Continental and Inter-ore.

The other part of the question was as to why we are thinking of discontinuing the concession after 31st December. The House knows very well that these concessions were given in order to expedite people filing their applications and we see no reason for continuing the concession.

SHRI INDRAJIT GUPTA : Some time ago we were told that Government has finally turned down the proposal which had been made by, I think Dharamsi Morarji firm for a collaboration project which was going to be based on the import of liquid ammonia because that is something which would involve foreign exchange drainage which is not in the interest of the country. I want to know whether it is a fact, as reported recently in the press, that that proposal has been revived and is under the active consideration of Government. What is the exact position? If it is being revived, why is it being revived?

SHRI ASOKA MEHTA : When a letter of intent is given to a company we have to give a notice saying that the letter of intent is being terminated and they have a right to make whatever statement they may want to file. The Dharamsi Morarji company have filed a statement with us saying that they are revising their proposals and they want us to consider them. I cannot stop them from filing the statement. Whether it should be reconsidered or not is a matter which the Government will go into. As to what is the present position, it is known to the House.

SHRI INDRAJIT GUPTA : Is it the same old proposal or is it some new proposal?

SHRI ASOKA MEHTA : I have pointed out that they have modified their proposals. Until some decision is taken, I see no reason why this House should be taken into confidence. As soon as a decision is taken, all the facts will be placed before the House; but while the matter is being processed I cannot say anything.

श्री रघुबीर सिंह शास्त्री : फर्टिलाइजर की इंडस्ट्री जो कि हिन्दुस्तान में बहुत लाभ-पूर्ण और नई है क्या इस बात पर भी विचार किया जा रहा है कि इसके जो नए कारखाने हैं वे पब्लिक सैक्टर में ही बनाये जायें और पूंजी-पतियों को इस क्षेत्र में प्रवेश करने की खुली छूट न दी जाए ?

श्री अशोक मेहता : सरकार की नीति यह है कि अपने साधनों, रीसोर्सिज, को देखते हुए हम पब्लिक सैक्टर में जितने कारखाने बना सकते हैं, वे बनायें। इस वक्त पांच नये कारखाने पब्लिक सैक्टर में बनाने का काम चल रहा है। इन के अलावा अगले तीन चार महीनों में दो नये कारखाने प्राइवेट का काम शुरू करेंगे। लेकिन हमारे देश में फर्टिलाइजर की मांग इतनी ज्यादा है कि सिर्फ पब्लिक सैक्टर के जरिये से यह सारा काम नहीं हो सकेगा, इसलिए इसमें न सिर्फ प्राइवेट सैक्टर को लाना होगा, बल्कि फ्रान्च आइव्ड कंपनियों को भी लाना होगा। गवर्नमेंट का यह फैसला कई महीनों से हाउस के सामने है और मेम्बर साहबान उस को जानते हैं।

श्री क० ना० तिवारी : बरौनी में भी फर्टिलाइजर का एक कारखाना खड़ा करने की बात है। क्या वजह है कि वहां पर पब्लिक सैक्टर में या प्राइवेट सैक्टर में कोई फर्टिलाइजर कारखाना लगाने की कोई बात नहीं कही गई है ? मंत्री महोदय ने जो लिस्ट पढ़ी है उस में बरौनी का नाम नहीं है।

श्री अशोक मेहता : मैंने जो लिस्ट पढ़ी है, वह प्राइवेट फर्म की है। बरौनी का कारखाना पब्लिक सैक्टर में है। इस वक्त दो नये कारखाने प्राइवेट में जा रहे हैं। जो पांच कारखाने

पब्लिक सैक्टर में लगाए जायेंगे, उन में बरौनी भी आ जाता है।

श्री भोलू प्रसाद : सरकार की तरफ से बजट सेशन में बताया गया था कि गोरखपुर की फर्टिलाइजर फैक्ट्री में सितम्बर में ट्रायल और प्रोडक्शन शुरू हो जायेगा। मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या उस फैक्ट्री में ट्रायल हो चुका है और प्रोडक्शन शुरू हो गया है, यदि हां, तो प्रति दिन कितने टन वहां पर कितना प्राइवेट हो रहा है।

श्री अशोक मेहता : वहां पर प्राइवेट जनवरी में होगा। इस में देर इस लिए लगी है कि मशीनरी के कुछ हिस्से, जो जापान से आये थे, वे ठीक नहीं थे और उन को बदलना जरूरी था। वे पार्ट्स हासिल करने में कुछ देर लगी। वहां पर दो स्कीम हैं। अभी एक स्कीम के लिए पार्ट आएं हैं और दूसरी स्कीम के लिए पार्ट आने में समय लगेगा। इस लिए दो तीन महीने की देरी हो गई है।

SHRI CHENGALRAYA NAIDU : Is it a fact that the American Co-operative Consortium has recommended Kandla and Vizag to start fertiliser factories there and, if so, why have the Government taken interest only in Kandla and why have they not thought of Vizag ?

SHRI ASOKA MEHTA : After a very careful study, it was suggested that the first plant should be located at Kandla because in terms of techno-economic benefits, it would be advisable to have at Kandla. It was recommended that the second plant should be at Vizag. At present, the Government is thinking only of setting up one plant, that is, at Kandla. The matter is still under technical, economic and other considerations.

SHRI S. S. KOTHARI : What is the progress of various projects for new fertiliser factories in the public sector ?

SHRI ASOKA MEHTA : In the public sector, there are two Corporations, the Fertiliser Corporation of India and the F.A.C.T. As far as the Fertiliser Corporation is concerned, it has got three

plants which are running today. It will have two more plants which will go into production, one at Gorakhpur and another at Namrup in the next few months. As far as the F.A.C.T. is concerned, it has one plant which is under production. The Fertiliser Corporation of India is taking up three more plants, one at Durgapur, one at Barauni and another is Namrup expansion. The F.A.C.T. has taken up one more plant at Cochin. Besides this, there is another public sector corporation in which there is foreign collaboration and that is the Madras Refinery. These are the various projects which are under implementation.

SHRI D. C. SHARMA : Each State requires fertiliser and the Minister is doing his level best to make the agriculturists fertiliser conscious. May I know how he is going to distribute these fertiliser factories over the several States of India so that no State is starved of fertiliser in any way?

SHRI ASOKA MEHTA : The location cannot be determined purely on the basis of every State having a fertiliser factory. By and large so long as fertiliser is to be produced from naphtha, the coastal-based plants have a greater advantage than the inland ones. We hope that after sometime we will have inland refinery and when inland refinery comes up, even this difficulty will disappear. At present, every care is taken to locate plants to meet the requirements of every part of the country. Every effort is being made to distribute plants in as many States as possible on techno-economic considerations.

SHRI TENNETI VISWANATHAM : The Minister was pleased to say that the Report recommended plant at Kandla, not at Vizag.

Will he be pleased to place it on the Table of the House?

SHRI ASOKA MEHTA : All these matters are under consideration and until decisions are taken finally, I do not propose to place anything on the Table of the House?

श्री ओंकार लाल बोहरा : जैसा कि मंत्री महोदय जानते हैं, राजस्थान में जिप्सम का

सब से बड़ा भंडार है और वहां पर एक फर्टिलाइजर प्लांट के लिये प्राइवेट सेक्टर में लाइसेंस दिया जा चुका है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या वहां पर जिप्सम के इतने बड़े भंडार को देखते हुए सरकार का विचार वहां पर पब्लिक सेक्टर में कोई फैक्टरी खड़ी करने का है।

श्री अशोक मेहता : राजस्थान में कोटा में प्राइवेट सेक्टर का एक फर्टिलाइजर प्लांट बन रहा है। राजस्थान का जिप्सम ऐसा नहीं है कि जिस का फर्टिलाइजर के लिए आगे ज्यादा उपयोग हो सकता है। हम सिन्दरी में राजस्थान का जिप्सम इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन वहां पर इस बारे में काफी दिक्कतें और शिकायतें हैं। हमारी कोशिश यह है कि इह जिप्स की जगह पर सिन्थेटिक जिप्सम बना कर काम किया जाये।

SHRI S. XAVIER : May I know whether there is any proposal to start a fertiliser plant at Tuticorin, Madras State?

SHRI ASOKA MEHTA : The FACT has been working on a Project Report for a fertiliser plant at Tuticorin. As I said, we have already five plants under construction. When we think of further expansion in future development, a plant at Tuticorin will very much be before us.

SHRI G. S. REDDI : May I know whether the Government has drawn up any scheme for the establishment of a public sector fertiliser plant at Kothagudam, where coal is available in plenty and also because Andhra Pradesh consumes a lot of fertilisers.

SHRI ASOKA MEHTA : As far as the requirements of Andhra Pradesh in respect of fertilisers are concerned, adequate care is being taken to set up the necessary production capacity. Whether there should be a coal based plant or not, the Project Report is being prepared, but it appears that on the whole a coal based plant may not be economical.

श्री यशवंत सिंह कुशवाह : क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या

यह सच है कि मध्य प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय शासन से यह प्रार्थना की है कि रासायनिक खाद का कारखाना बनाने के सम्बन्ध में मध्य प्रदेश को प्राथमिकता दी जाये ; यदि हां, तो शासन उस पर क्या विचार कर रहा है ?

श्री अशोक मेहता : जी हां, मध्य प्रदेश ने इस बारे में मांग की है। कोरबा के लिये एक कोल-वेस्ट फर्टलाइजर के कारखाने का प्रोजेक्ट रिपोर्ट एफ० सी० आई० ने तैयार किया है और हमारे यहां उस का टैकनो-इकानोमिस्ट इवैल्युएशन हो रहा है।

SHRI NARENDRA SINGH MAHIDA : We have a fertiliser factory at Baroda in Gujarat, and this factory emits chemicals and fumes, which harm the nearby agriculturists. Will the Government therefore, see that in future such factories are not established at such places where there are large fields, so that the agriculturists are not harmed?

SHRI ASOKA MEHTA : By and large, the factories are being established near the coast. But I do not know what the Government can do because these matters are carefully gone into by all the departments concerned. I am aware of the difficulties that the hon. Member has referred to, but I do not know what further precautions can be taken. If the hon. Member can point out what further precautions can be taken, I shall be happy.

SHRI HEM BARUA . Since most of our fertiliser plants are naphtha based and since naphtha is likely to be in short supply by 1970-71, may I know whether the Government have taken this aspect of the problem into consideration and have tried to shift their pattern from naphtha to liquid ammonia?

SHRI ASOKA MEHTA : First of all, the hon. Member is not justified in saying that we will have a short supply of naphtha by 1970-71. Secondly, what should be done, whether we should continue to have naphtha based plants or introduce something else, is a matter which is under very careful consideration and I hope to bring before the House.

if the House is interested, the projection by 1975-76.

अध्यक्ष महोदय : नेक्स्ट क्वेश्चन—श्री शारदानन्द।

श्री मधु लिमये : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न का जवाब आने से पहले मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं।

MR. SPEAKER : During Question Hour?

श्री मधु लिमये : वह क्वेश्चन आवर से ही सम्बन्धित है, वरना आप जानते हैं कि मैं उस को न उठाता।

अध्यक्ष महोदय, आज मुझे बहुत दुख हो रहा है कि जब पहले प्रश्न का मंत्री महोदय जवाब दे रहे थे तो मुझे एक लेक्चर उन से सुनना पड़ा। मैं उन की नुकता-चीनी नहीं कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि साधारण प्रश्न पर आप एक निश्चित या व्यक्तिगत सवाल में क्यों पूछते हैं। लेकिन मैं आप की जानकारी में यह बात लाना चाहता हूं कि आज के वेलट में मेरा पहला नम्बर आया था और जैसी कि यहां व्यवस्था है मैंने जिन प्रश्नों को प्रधानता या प्रायोरिटी दी थी एक और दो, उन को जानबूझ कर दबाया गया है और जो क्वेश्चन मैं नहीं चाहता था कि प्रधानता में आये उस को वहां पर रखा गया है। अध्यक्ष महोदय, जिस रामनारायण एंड संस के बारे में मैंने सवाल पूछा था उसी को मैंने प्रधानता दी थी। आप ने स्वीकारा भी था और इसलिए उस को यहां आना चाहिए था। दूसरे सदस्य भी इस बात की शिकायत कर रहे हैं। तो मैं आप का ध्यान इस बात की ओर खींचना चाहता हूं कि बड़ी धांधलियां हो रही हैं। मैं आप को दौष नहीं दे रहा हूं। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप ऐसा इन्तजाम करें हम लोगों से सलाह मशविरा कर के जिस से इस तरह की धांधलियां प्रश्नों के बारे में न हों और मंत्री महोदय का लेक्चर भी हमें सुनना न पड़े।

अशोक होटल के कर्मचारियों के लिये बोनस

+

* 366. श्री शारदानन्द :

श्री यज्ञदत्त शर्मा :

श्री अटल बिहारी वाजपेयी :

श्री ना० स्व० शर्मा :

श्री मोहन स्वरूप :

क्या निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली स्थित अशोक होटल के कर्मचारियों ने बोनस लेने से हाल ही में इन्कार कर दिया है और उनमें बहुत असंतोष फैला हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगें क्या हैं तथा उनमें असंतोष होने के क्या कारण हैं ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF WORKS, HOUSING AND SUPPLY (SHRI IQBAL SINGH) :

(a) The workers refused to accept bonus at the rate of 4% admissible to them under the Payment of Bonus Act, 1965, on the date fixed for its disbursement, i.e., 27th October, 1967.

(b) The workers demanded bonus at the rate of 20%. Non-payment of bonus at this rate was the cause of discontentment amongst them.

(c) and (d). Negotiations were held by the management of the Ashoka Hotel with the representatives of workers nominated by the three Unions jointly operating in the Hotel and a settlement was arrived at on 5th November, 1967 in terms of which :

(i) the management of the Ashoka Hotel has given the eligible employees a bonus at the rate of 15% of the wages (basic pay: food allowance and interim relief, where admissible) earned for the year 1966-67 which is 11% higher than what was admissible;

(ii) the three Unions representing the workers have agreed that the existing strength of the workers of the Hotel will take on

the additional work of running and maintaining the Annex to the Hotel, which will start functioning shortly, in the manner which may be prescribed by the management from time to time without any addition in the number of workers; and

(iii) the management can at its discretion, recruit additional staff, if in its opinion it becomes absolutely necessary to do so.

The higher bonus was disbursed on 10th November, 1967.

श्री शारदानन्द : अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहूंगा कि यह संस्थान सरकार द्वारा चलाया जा रहा है और सरकारी कर्मचारियों और सरकार के बीच उत्पन्न विवाद को निपटाने के लिए सरकार ने क्या कोई स्थायी व्यवस्था की है ?

श्री इकबाल सिंह : यह तो ठीक है कि यह होटल सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। जहां तक उन में यूनियन्स का और मैनेजमेंट का ताल्लुक है तीन यूनियन्स हैं, उन के साथ मिलते रहते हैं और कोई बात होती है तो यही करते हैं और इसी के आधार पर यह फैसला हुआ।

श्री शारदानन्द : क्या मंत्री महोदय बतायेंगे की आज जो उन्होंने जवाब दिया है कि वहां के सरकारी अफसरों ने जो यूनियन्स है उन से मिल कर के यह फैसला किया है कि 15 परसेंट वह बोनस देंगे तो यह फैसला जो उन्होंने बाद में किया क्या वह पहले ही नहीं कर सकते थे ?

श्री इकबाल सिंह : कानून के मुताबिक 4 परसेंट उन को मिलने की सुविधा थी। लेकिन उस के बाद उन्होंने मैनेजमेंट को लिखा और उन्होंने कुछ नोटिस भी दिए। वह दो घंटे की स्ट्राइक पर भी चले गए। उस के बाद यूनियन और मैनेजमेंट का फैसला हो गया कि 15 परसेंट वह बोनस दिया जायगा। लेकिन इस के साथ यह भी फैसला हुआ कि जो एक